न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 4072–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–9–13 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 105/अपील/2012–13.

———

यशवन्तसिंह पुत्र ओमकारसिंह रघुवंशी (मृत) द्वारा वारिसान –
1– रेखा रघुवंशी पत्नि स्व. श्री यशवन्त सिंह
2– दीपेन्द्र सिंह पुत्र यशवंतविसंह जाति रघुवंशी
3– रमनसिंह पुत्र स्व0 श्री यशवंत सिंह जाति रघुवंशी
निवासी वार्ड नं. 5 पुराना रजिस्ट्रार ऑफिस के पीछे,
बरेड रोड, रोड गंज बासौदा
जिला विदिशा म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– अनीसा बी वेवा मेहफूज हसन
निवासी चूड़ी मोहल्ला गंज बासौदा
जिला विदिशा म.प्र.
2– शाकिर खां पुत्र जहूर खां
निवासी वेहलोट वाय पास रोड वार्ड नं. 10
गंज बासौदा जिला विदिशा म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश जैन ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07 मई 2015 को पारित)

———

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 105/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03.9.13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु पेश किया

। जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय ने इश्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गईं । अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रकरण कर नामांतरण न किये जाने का निवेदन किया । विचारण न्यायालय ने विचारोपरांत यह पाया कि प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रेता के स्वत्व के साथ–साथ उसके नावालिग पुत्रों का भी स्वत्व अंकित है और विक्रेता द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित करने से पूर्व सक्षम न्यायालय से अनुमति नहीं ली गई इस कारण उन्होंने आदेश दिनांक 30.6.12 द्वारा आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपीलें निरस्त की गई हैं । द्वितीय अपील में आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए आधारों पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया ।

3/ अनावेदक अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने का समय दिया गया थाकिंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

5/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का होकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं । प्रकरण में केवल एक प्रश्न विचारणीय है कि अव्यस्क पुत्रों के नाम की जमीन को बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता था और यह स्थिति विधि की है इस कारण उसमें 2 निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है अतः आयुक्त ने जो निष्कर्ष अपने आदेश में निकाला है वह अपने स्थान पर उचित है । उन्होंने प्रकरण के समस्त तथ्यों की विवेचना अपने आदेश में की है जिसकी पुष्टि अभिलेख से होती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर